

राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान

क्रमांक एफ0 15/पार्ट 1/स्टोर/ऑडिट/एमएएपीआरआई/2017 ²⁰⁵/₂₀₉ दिनांक:- 6/2/17

निदेशक
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
शासन सचिवालय परिसर,
जयपुर।

विषय:- अनुपयोगी/नकारा/ सरप्लस सामग्री की नीलामी विज्ञप्ति
प्रकाशित करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निदेशालय अनुपयोगी/नकारा/सरप्लस सामग्री की नीलामी की विज्ञप्ति राज्य स्तरीय एक समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें। विज्ञप्ति का संक्षिप्त प्रारूप एवं सी0डी0 संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न:-विज्ञप्ति 6 प्रतियों में मय सी0डी0

भवदीय




निदेशक

मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक राजस्थान

क्रमांक एफ0 15/पार्ट 1/स्टोर/ऑडिट/एमएएपीआरआई/2017 ²⁰⁵/₂₀₉ दिनांक: 6/2/17
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-नोटिस बोर्ड, कसरे ईल्म, एमएएपीआरआई, टोंक।
- 2-नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक।
- 3-नोटिस बोर्ड, नगर परिषद, टोंक।
- 4-नोटिस बोर्ड, जिला पुस्तकालय, टोंक।



निदेशक
मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक राजस्थान

राजस्थान सरकार
मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक, राजस्थान

क्रमांक एफ0 15/पार्ट 1/स्टोर/ऑडिट/एमएएपीआरआई/2017

दिनांक:-


नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि संस्थान में दिनांक 28.02.2017 को स्टोर के अनुपयोगी/नकारा/सरप्लस सामानों की खुली बोली द्वारा निम्नानुसार नीलामी की जानी है।

| क्र०सं० | विवरण | नीलाम किये जाने वाले सामान की अनुमानित लागत | अमानत राशि 2 प्रतिशत | नीलामी का समय व दिनांक |
|---------|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|
| 01 | स्टोर का अनुपयोगी/नकारा/सरप्लस सामान | 4.50 लाख रुपये | 9000/-रुपये | 28.02.2017 को सांय 03:00 बजे |

नीलामी सामग्री को किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 09:30 बजे से सांयः 06:00 बजे तक कार्यालय समय में देखा जा सकता है। बोली लगाने से पूर्व दिनांक 28.02.2017 को सांय 01:00 बजे तक बोली दाता को 2 प्रतिशत धरोहर राशि 9000/-रुपये जमा करानी होगी। बोली के तुरन्त पश्चात अनुमोदित बोली दाता द्वारा नीलामी राशि की सम्पूर्ण राशि मय नियमानुसार बिक्री कर सहित कार्यालय में जमा कराकर सामग्री को तुरन्त उठाना होगा। असफल बोली दाता को धरोहर राशि वापस नीलामी के पश्चात लोटा दी जावेगी। नीलामी स्वीकार करने या रद्द करने का पूर्ण अधिकार नीलामी कमेटी के पास सुरक्षित रहेगा। किसी भी विवाद की स्थिति में कमेटी का निर्णय अन्तिम एवं सर्व मान्य होगा। उक्त नीलामी की सूचना संस्थान की बेबसाइट www.maapri-rj@nic.in पर भी देखी जा सकती है।

भवदीय


निदेशक

मौलाना अबुल कलाम आजाद
अरबी फारसी शोध संस्थान
टोंक राजस्थान